†ध्याय-16

†–ुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कल्याण

16.1 सरकार की सामान्य नीति के अनुरूप श्रम मंत्रालय ने अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लाभार्थ कई विशिष्ट स्कीमें तैयार की हैं, जो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातिके सदस्यों को विभिन्न लाभ उपलब्ध कराती हैं।

†–ुसूचित जाति/जनजाति के लिए विशिष्ट स्कीमें

- **†–ुसूचित जाति/जनजाति के लिए अनुशिक्षण सह मार्गदर्शन केन्द्र**
- **विशेष अनुशिक्षण स्कीम**
- **श्रमिक कल्याण कोष/स्कीम**
- **बंधुआ मजदूर पुनर्वास**
- **सर्वेक्षण एवं अनुसंधान अध्ययन**

†–ुसूचित जाति/जनजाति के लिए अनुशिक्षण-सह-मार्गदर्शन केन्द्र

16.2 इस योजना का आरंभ चार केन्द्रों पर प्रायोगिक तौर पर वर्ष 1969-70 में हुआ। योजना की सफलता को देखते हुए यह 18 अन्य राज्यों में शुरू की गई । वर्तमान में विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में लगभग 22 अनुशिक्षण सह-मार्गदर्शन केन्द्र स्थापित हैं। (इनमें जोवाई केन्द्र को पूरी तरह कार्यान्वित करने की प्रक्रिया अभी चल रही है) । ये केन्द्र पुराने मामले की समीक्षा सहित अनुसूचित जाति/जनजातियों से संबंधित रोजगार के जिज्ञासु व्यक्तियों के लाभ हेतु व्यावसायिक सूचनाएं तथा व्यक्तियों तक मार्ग-दर्शन आदि की सुविधा प्रदान करते हैं तथा आत्मविश्वास निर्माण कार्यक्रम आयोजित करते हैं । आवेदकों को रोजगार केन्द्रों में पंजीकरण के समय तथा अधिसूचित रिक्तियों के लिए प्रायोजित किए जाते समय मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है । ये केन्द्र अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए आरक्षित पदों की रिक्तियों को भरने में नियोक्ताओं का भी अनुवर्तन करते हैं ।

16.3 इसके अलावा इन केन्द्रों में से 13 केन्द्र टंकण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करते हैं । जनवरी, 2005 से सितम्बर, 2005 के दौरान अनुशिक्षण-सह-मार्गदर्शन केन्द्रों द्वारा किए गए विभिन्न कार्य नीचे प्रस्तुत किए जा रहे हैं:-

कार्यकलाप	सम्मिलित उम्मीदवारों की संख्या
पंजीकरण मार्गदर्शन	15921
प्रस्तुतिपूर्व(प्री-सबमिशन) मार्गदर्शन	1113
†त्मविश्वास निर्माण क ार्यक्रम	12272
™कण एवं आशुलिपि प्रशिक्षण	8688
भर्ती-पूर्व प्रशिक्षण	2182

विशेष अनुशिक्षण योजना

16.4 केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की आरक्षित रिक्तियों में उनकी भर्ती को सुविधाजनक बनाने क े लिए रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय ने उनके लिए "विशेष अनुशिक्षण योजना" नामक दूसरी योजना प्रारम्भ की है ताकि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रोजगार चाहने वाले व्यक्तियों को समूह "ग" पदों की भर्ती के लिए कर्मचारी चयन आयोग तथा अन्य भर्ती बोर्डों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल होने में स मर्थ बनाया जा सके। यह योजना दिल्ली तथा गाजियाबाद में वर्ष 1973 में प्रायोगिक रूप में आरंभ की गई थी । अब तक इस योजना के 22 चरण पूरे हो गये हैं और 23 वां चरण 1.7. 2005 से प्रगति पर है।

16.5 उपयुक्त योजना की सफलता को देखते हुए इसका वर्ष 1992 से बंगलौर, कोलकाता, हैदराबाद, रांची, सूरत और कानपुर स्थित केन्द्रों तथा 1999 से गुवाहाटी, इ म्फाल, हिसार, जबलपुर, चेन्नई और तिरूवनंतपुरम केन्द्रों क े माध्यम से 12 और स्थानों पर विस्तार किया गया है और अब तक इन कार्यक्रमों के क्रमश: 10 और 5 चरण पूरे हो चुके हैं तथा 1.7.2005 से 11वां और 6ठवां चरण चल रहा है। विशेष अनुशिक्षण योजना के तहत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 9406 अभ्यर्थियों ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा किया है

नई स्कीम की शुरुआत

16.6 यह स्कीम अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाती के पढ़े लिखे नौकरी चाहने वालों के लिए बैंगलूर, भुवनेश्वर, दिल्ली, गुवहाटी, हिसार, हैदराबाद, जयपुर, जबलपुर, कोलकाता, नागपुर और सूरत स्थित कोचिंग-सह-मार्गदर्शन केन्द्रों और एपटेक लि. के माध्यम से 6 माह का कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए फरवरी, 2004 से आरंभ की गई है। योजना के अंतर्गत अक्तूबर, 2005 से द्वितीय प्रशिक्षण चल रहा है जिसमें पहले दिए गए 12 स्थानों में कानपुर और थिरुवनंतपुरम और जोड़कर 14 स्थानों पर 518 अनुसूचित जाति/जनजाति के रोजगार के इच्छुक लोगों के लिए सीटों की क्षमता है ।

श्रमिक कल्याण कोष/योजनाएं

16.7 कतिपय गैर-कोयला खानों, बीड़ी और सिने उद्योग में कार्यरत कामगारों, जो ज्यादातर असंगठित हैं, के कल्याण के लिए संसद के अधिनियमों द्वारा पांच श्रम कल्याण निधियां अर्थात माइका खान श्रम कल्याण निधि, चूना पत्थर और डोलोमाइट श्रम कल्याण निधि; लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क और क्रोम अयस्क खान श्रम कल्याण निधि; बीड़ी कामगार कल्याण निधि; और सिने कामगार कल्याण निधि स्थापित की गई हैं। इन असंगठित कामगारों के कल्याण के लिए जिनमें से अधिकांश अनुसूचित जाति/जनजाति से हैं, स्वास्थ्य, आवास, शिक्षा, परिवार कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में अनेक कल्याण योजनाएं लागू की जा रही हैं।

बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास

16.8 भारत में ऋण दासता प्रणाली कतिपय श्रेणियों की ऋणग्रस्तता के कारण है जिसमें कतिपय आर्थिक रूप से शोषित, असहाय तथा समाज के कमजोर तबके शामिल हैं । यह प्रणाली असमान सामाजिक संरक्षण के कारण शुरू हुई जिसका कारण भूमि और परिसंपत्तियों का असमान वितरण था। ऐसा देखा गया है कि चिह्नित और मुक्त कराये गये बंधुआ श्रमिकों में से अधिकतर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के हैं।

16.9 मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों के पूनर्वास हेतु के मामले में राज्य सरकार के पुनर्वास के मामले में राज्य सरकार की सहायता करने के उद्देश्य से श्रम मंत्रालय ने बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए मंत्रालय ने बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के 50:50 आधार पर केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीम को मई 1978 से शुरू किया। समय-समय पर स्कीम में बहुत से गुणात्मक परिवर्तन किए गए हैं और इसे उत्तरोत्तर उदार बनाया गया है । पुर्नवास सहायता को मई, 2000 से प्रति बंधुआ मजदूर बढ़ाकर 20,000/- रुपए कर दिया गया है और उत्तर-पूर्वी राज्यों के मामले में, 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। 2004-05 में केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत राज्यों को वित्तीय सहायता के रुप में 76.96 लाख रु. की राशि व्यय की गयी थी। इसी अवधि में 866 बंधुआ श्रमिकों की पहचान की गयी और उनका पुनर्वास किया गया । राज्यों को जागरूकता सृजन, सर्वेक्षण और बंधुआ श्रम की पहचान के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की गयी है। अब तक इस योजना के अंतर्गत 2,66,489 बंधुआ श्रमिकों का पुनर्वास किया जा चुका है। राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग 1991 की रिपोर्ट के अनुसार पहचान किए गए बंधुआ श्रमिकों में से 86.6 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति से हैं, अतः योजनाओं के लाभ इसी अनुपात में बंधुआ श्रमिकों की इन श्रेणियों को मिल रहा है।

16.10 स्कीम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को विस्तृत मार्गदर्शन जारी किए गए हैं इस बात पर बल दिया गया है कि पुनर्वास प्रक्रिया के दो घटक होने चाहिए (i) मनोवैज्ञानिक पुनर्वास (ii) भौतिक और आर्थिक पुनर्वास। जहां तक मनोवैज्ञनिक पुनर्वास का संबंध है, मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों को, जो कि प्रभुत्व और दासता के समाज के आदी हो गए हैं, यह विश्वास दिलाना होगा कि वह दूसरे मानवों की तरह अपनी आर्थिक आजीविका और अच्छा जीवन-निर्वाह करने के लिए हकदार है। आर्थिक पुनर्वास के संबंध में बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए स्कीम का चयन बंधुआ मजदूरों की पसंद को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। तद्नुसार, राज्य सरकारों को भी यह सलाह दी गई है कि केन्द्र प्रायोजित बंधुआ श्रमिक पुनर्वास योजना को स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना, अनुसूचित जाति संबंध विशिष्ट घटक योजना, अनुसूचित जनजाति उप योजना आदि जैसी चालू गरीबी उन्मूलन संबंधी अन्य योजनाओं के साथ समेकित कर दिया जाए/जोड़ दिया जाए ताकि बंधुआ श्रमिकों के अर्थपूर्ण पुनर्वास के लिए संसाधन जुटाए जा सकें।

सर्वेक्षण एवं शोध अध्ययन

16.11 श्रम ब्यूरो, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के श्रमिकों के लिए दो प्रकार के अध्ययन करता है अर्थात (i) शहरी क्षेत्रों में झाड़ू -बुहारी, खाल उतारने तथा चर्मशोधन, हड्डी पिसाई तथा जूते बनाने जैसे

अस्वच्छता वाले कार्यों के चार समूहों से जुड़े अनुसूचित जाति के श्रमिकों की कामकाजी तथा रहन-सहन दशाएं, और (ii) औद्योगिक शहरों के चुने हुए केन्द्रों में अनुसूचित जनजाति के श्रमिकों की सामाजिक-आर्थिक दशाएं । ब्यूरो ने अब तक 9 अनुसूचित जाति केन्द्रों तथा 7 अनुसूचित जनजाति केन्द्रों का सर्वेक्षण किया है। अनुसूचित जाति के जयपुर स्थित केन्द्र की रिपोर्टें पहले ही जारी की जा चुकी हैं। इन सभी सर्वेक्षणों पर रिपोर्ट जारी की जा चुकी है, जयपुर (अनुसूचित जाति) केन्द्र संबंधी रिपोर्ट अनुसूचित जाति सर्वेक्षणों की श्रृंखला में नवीनतम है। अनुसूचित जाति सर्वेक्षण केन्द्र-विशिष्ट होते हैं और अनुसूचित जनजाति सर्वेक्षण पट्‌टी आधारित होते हैं। शामिल की जाने वाली केन्द्र/राज्य पट्‌टी और अन्य तकनीकी वि वरण विभिन्न सरकारी विभागों के प्रतिनिधियों वाली एक अंतर विभागीय निर्देशन समिति द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं । वलसाड, नवसारी,वापी और पारदी वाली अनुसूचित जाति पट्‌टी में व्यावहारिक संबंधी अध्ययन पूरा किया जा चुका है।

श्रम मंत्रालय में आरक्षण

16.12 श्रम मंत्रालय में कार्यरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित आंकड़ों को तालिका 16.1 में दर्शाया गया है ।

16.13 उपर्युक्त के अनुसार, श्रम मंत्रालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रोजगार का कुल प्रतिशत क्रमश: 24.32% एवं 7.10% है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों की रिक्तियां को विशेष भर्ती अभियान के अंतर्गत भर्ती करके भरा जा रहा है।

16.14 भारत सरकार ने उनके अंतर्गत सिविल पदों एवं सेवाओं में व्यक्तियों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान करने के संबंध में दिनांक 8 सितम्बर, 1993 को एक कार्यालय ज्ञापन जारी किया था, जिसके अध्यधीन उच्च वर्ग को बाहर रखा जाएगा।

16.15 "विकलांग व्यक्तियों (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण तथा पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995" की अपेक्षा के अनुसार, शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 3 प्रतिशत पद आरक्षित रखे गए हैं। विकलांग व्यक्तियों के लिए कुल मंजूर पदों और उनके द्वारा धारित पदों की संख्या से संबंधित आंकड़ों को तालिका 16.2 में दर्शाया गया है ।

							तालिका 16.1
श्रम मंत्रालय में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व							
कर्मचारियों की श्रेणी	कार्यरत स्टाफ	†रक्षण के आधार पर पद		†वस्थित	बेसी (+) कमी (-)		
	†.जा.	अ.ज.जा.	†.जा.	†.ज.जा.	अ.ज.जा.	†.जा.	†.ज.जा.
समूह "क" *	1058	159	79	199	66	+40	-13
समूह "ख"	1025	154	77	177	59	+23	-18
समूह "ग"	4112	617	308	844	272	+227	-36
समूह " घ"	2280	342	171	841	205	+499	+34
कुल	8475	1272	635	2061	602	+789	-33

आरक्षण समूह 'क' के निचले स्तर पर लागू होता है।

		तालिका-16.2
कर्मचारियों की श्रेणी	संस्वीकृत पदों की सख्या	विकलांग व्यक्तियों द्वारा धारित पदों की संख्या
समूह "क"	1069	06
समूह "ख"	1151	07
समूह "ग"	4470	58
समूह "घ"	2973	22

****